भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 277

जिसका उत्तर सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

बैंक क्रेडिट और जमा में वृद्धि

277. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में पिछले तीन वर्ष में वर्ष-वार बैंक क्रेडिट और बैंक जमा की वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या सरकार ने क्रेडिट वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच लगातार अंतर का बैंकों की कुल वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सुविधा कम है या बिल्कुल नहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का तंत्र-व्यापी लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए परिदृश्य-आधारित तनाव परीक्षण रूपरेखा का विस्तार करने का विचार है;

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा विद्यमान वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, विशेषकर विदेशी मुद्रा जोखिम, बाहरी वाणिज्यिक उधार और साइबर सुरक्षा तैयारियों के क्षेत्रों में, वित्तीय संस्थानों के जोखिम प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में बैंक ऋण और बैंक जमाराशियों की वृद्धि दर निम्नानुसार है - —

वित्तीय वर्ष	ऋण वृद्धि (वर्ष दर वर्ष %)	जमा वृद्धि (वर्ष दर वर्ष %)
2022-23	15.82	10.20
2023-24	19.13	13.55
2024-25	11.07	10.60

(ख): ऋण और जमा वृद्धि में अंतर और समग्र वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है और इसे प्रत्येक छह महीने में आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में प्रकाशित किया जाता है। आरबीआई के अनुसार, 16-18% की ऋण वृद्धि

संधारणीय बनी हुई है और मौजूदा विकास दर इससे काफी कम है। आरबीआई के नवीनतम दवाब की जांच (स्ट्रेस टेस्ट) (दिसंबर 2025) ने मजबूत पूंजी, चलनिधि और लाभप्रदता से समर्थित भारतीय बैंकिंग के लचीलेपन की पुष्टि की है। आरबीआई के एफएसआर में प्रकाशित बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बैंकिंग प्रणाली की मजबूती का एक समग्र संकेतक) ने बेहतर सुदृढ़ता और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर प्रकाश डाला, बाजार के जोखिमों को कम करने के साथ आंशिक रूप से कम चलनिधि और लाभप्रदता मेट्रिक्स से दबाव की भरपाई की।

(ग) और (घ): बैंक विशेष रूप से अल्पसेवित और बैंक रहित क्षेत्रों में जमाराशियां को जुटाने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां अपनाते हैं, जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं—

क) शाखा नेटवर्क का विस्तार.
ख) विशेष जमा सांद्रता (स्पेशफिक डिपोजिट कनस्ट्रेशन) को लक्षित करना, उदाहरण के लिए बड़े शहरों या भौगोलिक क्षेत्रों में सूक्ष्म बाजार या कॉर्पोरेट वेतन खाते।
ग) नवीन और अनुकूलित उत्पादों जैसे बाह्य बेंचमार्क से जुड़े डिपॉजिट उत्पादों को तैयार, जमा वृद्धि पर कार्यनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करना।
घ) विभिन्न ग्राहक प्रकारों, उत्पाद प्रकारों आदि के लिए विशिष्ट अभियान चलाना।
ङ) ग्राहकों के खर्च करने के तरीके/अलग-अलग बैंकिंग उत्पादों/फीचर्स के लिए संतुष्टि स्तर और नई ज़रूरतों का विश्लेषण करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना, ताकि ग्राहकों के लाइफस्टाइल के हिसाब से डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की पुन: संरचना की जा सके।

(ङ): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण के रूप में दबाव जांच नियमित रूप से किया जाता है और परिणाम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में प्रकाशित किए जाते हैं।

(च) और (छ): मौजूदा वैश्विक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, वित्तीय संस्थानों के जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में, विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों और विदेशी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित जोखिमों का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षी उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बासेल-III के अंतर्गत विदेशी मुद्रा और स्वर्ण एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी की आवश्यकताएं, अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के लिए अतिरिक्त पूंजी और प्रावधान मानदंड तथा निर्धारित विनियामकीय रिपोर्टिंग ढांचे के माध्यम से नकदी और मुद्रा असंतुलन की निगरानी शामिल हैं। साइबर सुरक्षा तैयारियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले आरई के साथ प्रचालन संबंधी लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया है, ताकि वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को संदिग्ध म्यूल खातों सहित संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी निगरानी कर सके और इसकी सूचना दी जा सके।
